

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 5412**  
**जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।**

.....

**एबीवाई के उद्देश्य और परिणाम**

**5412. श्री मलैयारासन डी:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अटल भूजल योजना (एबीवाई) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) तमिलनाडु में एबीवाई के कार्यान्वयन के विशिष्ट उद्देश्यों और प्रत्याशित परिणामों का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं;
- (ग) एबीवाई के अंतर्गत तमिलनाडु में भूजल प्रबंधन पहल के लिए अब तक आबंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में अटल भूजल योजना के अंतर्गत भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन में स्थानीय समुदायों, विशेषकर किसानों को किस प्रकार शामिल करने की योजना बना रही है; और
- (ङ) तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में अटल भूजल योजना की प्रगति की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है तथा भूजल संरक्षण और जल उपयोग पद्धतियों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क): भारत सरकार दिनांक 01.04.2020 से 6 वर्ष की अवधि के लिए 7 राज्यों अर्थात् हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकाओं की 8,203 जल की कमी वाले ग्राम पंचायतों में 6,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना जो एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में समुदाय आधारित निगरानी और भूजल डेटा का साझाकरण, आयोजना, क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह भूजल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों के उपयोग आदि जैसे जल उपयोग में कमी लाने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली इस तरह की पहली योजना है। ग्राम पंचायत-वार जल सुरक्षा योजनाएं जिसमें जल बजट और प्रस्तावित मांग पक्ष कार्यक्रमलाप जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि और आपूर्ति पक्ष कार्यक्रमलाप जैसे चेक डैम, फार्म पॉन्ड, पुनर्भरण शाफ्ट और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/ जल संरक्षण संरचनाओं के बारे में विवरण हैं, जिसे भूजल स्तर में जल की कमी को रोकने के उद्देश्य से चल रही योजनाओं के संमिलन के माध्यम से तैयार और निष्पादित की जाती हैं।

(ख) से (ङ): तमिलनाडु में यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

\*\*\*\*\*